न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 49/2019 तारीख रजू :–16.12.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

...........आवेदक

बनाम

1. जितेन्द्र कुमार पाराशर पुत्र श्री कैलाश चन्द पाराशर, जति ब्राह्मण(मौके पर विक्रेता)– फर्म – राघव फ्रेश मकान नं0 02/16, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सवाई माधोपुर निवासी मकान नं0 02/16, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर।
2. निधी शर्मा पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार पाराशर जति ब्राह्मण(मौके पर विक्रेता)– फर्म – राघव फ्रेश मकान नं0 02/16, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सवाई माधोपुर निवासी मकान नं0 02/16, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर।

...........अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 12/5/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 12.12.2019 को समय 12.45 पी.एम. पर दौराने गस्त फर्म – राघव फ्रेश मकान नं0 02/16, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सवाई माधोपुर निवासी मकान नं0 02/16, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर पर श्री वेदप्रकाश पूर्विया एफएसओ कार्यालय सी.एम.एच.ओ. सवाई माधोपुर के साथ निरीक्षण पर पहुॅचा। वहाँ पर जितेन्द कुमार पारशर पुत्र श्री कैलाश चन्द पाराशर जाति ब्राह्मण उपस्थित मिला। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। जितेन्द्र कुमार ने पाराशार ने स्वयं को फर्म पर विक्रेता तथा अपनी पत्नी निधि शर्मा को फर्म [illegible]क होना बताया। जितेन्द्र कुमार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अपनी दुकान पर [illegible] सामाग्री आम जनता को विक्रय कर रहा था। आवेदक ने जितेन्द्र कुमार से [illegible]न का वर्ष 2018/19 का खाद्य पदार्थ लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं का [illegible] को कहा तो उसने [illegible] खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं का पहचान पत्र दिखाने को कहा तो उसने फर्म के खाद्यपदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के आवेदन एवं जीएसटी पहचान पत्र की एक–एक स्वप्रमाणित प्रति प्रदान की गई। यह है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:52:35 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विक्रय परिसर में आजनता को विक्रय हेतु रखे हुये खाद्य वस्तु किशमिश (लिटिल हर्ट) 250 ग्राम पैक के पैकिटो का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक हाने पर मौके पर मौजूद विक्रेता जितेन्द्र कुमार से किशमिश (लिटिल हर्ट) 250 ग्राम पैक के पैकिटो में से शुद्धता व लेबल की जॉच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर हस्ताक्षर किये गये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्तााक्षर लिये गये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान पर एक लोहे की रैक में रखे हुये खाद्य वस्तु किशमिश (लिटिल हर्ट) 250 ग्राम पैक के 8 पैकिटो में से 4 पैकिट शुद्धता व लेबल की जांच हेतु नमूना लेने वाबत खरीदे जिनकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 320/–रूपये अक्षरे तीन सौ बीस रूपये नगद देकर खरीद का बिल प्राप्त किया जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करने पर आवेदक के हस्ताक्षर किये गये। यह है कि आवेदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा खाद्य वस्तु किशमिश (लिटिल हर्ट) 250 ग्राम पैक चारों पैकिटों को चार साफ, सूखे व खाली प्लास्टिक के डिब्बों में अलग अलग रखकर ढक्कन बन्द किया व चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान, खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वयं के हस्ताक्षर कर डिब्बों को अलग–अलग ब्रउन पेपर से लपेटकर, पेपर के सिरों को गोंद से चिपकाकर अभिहित अधिकारी स्लिप मय कोड नम्बर एच– 1590 गोंद से नियमानुसार प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाकर, प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाकर , प्रत्येक डिब्बे को एक मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह चपडी से सील मोहर करके चारों डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। दुकान पर मौके पर मौजूद विक्रेता जितेन्द्र कुमार से उक्त खाद्यवस्तु के माल खरीद बिल/वारन्टी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बिल में आपकों बाद में पेश कर दूंगा। मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढकर सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये गये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियां तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द डिब्बा एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियो एक लिफाफे में सील मोहर कर , आउटर कवर में सील बन्द डिब्बा व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री मौहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 13.02.2019 को खाद्य विश्लेषक कोटा (राजस्थान) के यहा जमा करवाये जिनकी रसीद प्राप्त की। यह है कि नमूने के दो सील बन्द डिब्बे (ii व iii पार्ट) व फार्म न0 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का शेष एक सील बन्द डिब्बा (iv पार्ट) व फार्म नम्बर की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर दिनांक 13.12.2019 को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाया गया। यह है कि अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/810 दिनांक 01/04/2019 के द्वारा उक्त नमूने की खाद्य विश्लेषकर जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या 63/एसएसएसएल/कोटा/एक्ट/2019/82 दिनांक 18.03.2019 खाद्य कारोबारकार्ता को रजिस्टर्ड डाक से भेजते हुये एक प्रति आवेदक को दी गई जिसके अनुसार उक्त खाद्य वस्तु किशमिश (लिटिल हर्ट) 250 ग्राम पैक का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded Food U/S 3(1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006) प्रकृति का पाया गया। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 969 दिनांक 22.04.2019, 1317 दिनांक [illegible] व 1803 दिनांक 05.07.2019 के द्वारा फर्म – राघव फ्रेश, मकान नं0 02/16 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सवाई माधोपुर के खाद्य कारोबारकर्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:52:35 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

जितेन्द्र कुमार पाराशर व निधी शर्मा को माल खरीद बिल फर्म के अन्य दस्तावेज उपलब्ध करवाने बावत रजिस्टर्ड पत्र लिखे जिनमें से पत्र क्रमांक 969 दिनांक 02.04.2019, 1317 दिनांक 03/06/2019 उनके द्वारा प्राप्त कर लिये गये तथा पत्र क्रमांक 1603 दिनंक 05.07.2019 डाक विभाग की उनके द्वारा उनके द्वारा लेने से मना करने की टिपण्णी सहित प्राप्त हुये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 1604 दिनांक 05.07.2019 व रजिस्टर्ड प. क्रमांक 2058 दिनांक 30.08.2019 एवं 2486 दिनांक 03.06.23019 के द्वारा श्रीमान वस्तु एवुं सेवाकार अधिकारी सवाई माधोपुर को फर्म– राघव फ्रेश, मकान नं0 02/16 हाउसिंग बोर्ड कॉलानी सवाई माधेपुर के व्यक्तिगत समर्क किया गया किन्तु उनके द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नही करायी गयी । यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी सवाई माधोपुर फर्म – राघव फ्रेश मकान नं0 02/16 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सावाई माधोपुर के खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन सर्टि फिकेट की सूचना लीगयी जिसमें उनके द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायी गयी जो कि नमूना लेने की तिथि के बाद 21.05.2019 को जारी किया गया था। यह है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता खाद्य कारोबारकर्ताओं ने मिथ्याछाप (Misbranded Food) प्रकृति की खाद्य वस्तु किशमिश(लिटिल हर्ट) 250 ग्राम पैक का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है जो कि धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अराध है। फर्म – राघव फ्रेश, मकान नं0 02/16 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सवाई माधोपुर के मौके पर विक्रेता मालिक ने माल खरीद बिल/ इन्वॉइस/वारंटी उपलब्ध नहीं करायी गई तथा बिला खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन खाद्य कारोबार किया है जो कि क्रमशः एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 27(2)(d) एवं धारा 31(2) का उल्लंघन है जाक कि धारा 58 के तहस जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर अभियोग पत्र पर उचित कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से एड0 देवीशंकर शर्मा ने वकालतनामा पेश किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्डेड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ किशमिश(लिटिल हर्ट) मिसब्राण्ड प्रकृति खाद्य पदार्थ का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें। पुनःश्च अभियुक्तगण ने माल खरीद बिल/इन्वॉइस/वारंटी उपलब्ध नहीं करायी गई तथा बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन के व्यापार किया गया गया । अतः अभियुक्त को अधिकत्तम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस में अपनी वि[illegible]यी खाद्य सामग्री किशमिश(लिटिल हर्ट) में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं पाये जाने [illegible] एफ[illegible]ल रिपोर्ट में महज बेच नम्बर वगैरह प्रिन्टिंग मिस्टेक के कारण होना बताया है तथा किशमि[illegible]लिटिल हर्ट) में किसी भी तरह की कोई मिलावट का एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार [illegible] बताया है। अंत में वकील अभियुक्त द्वारा प्रकरण का निस्तारण कर न्यूनत्तम शास्ति के दण्ड से दण्डित करने [illegible] निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:52:35 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
[illegible] ट्रेट

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जाँच रिपोर्ट संख्या 63/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2019/82 दिनांक 18.03.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ किशमिश(लिटिल हर्ट) मिसब्राण्ड(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। इसके अतिरिक्त विक्रेता तथा फर्म मालिक द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को माल खरीद बिल/इन्वॉइस/वारंटी उपलब्ध नहीं करायी गई तथा बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन के ही खाद्य कारोबार किया है जो कि एफएसएस एक्ट 2006 की धरा 27(2)(d) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ किशमिश (लिटिल हर्ट) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 तथा विक्रेता तथा फर्म मालिक द्वारा आवेदक को माल खरीद बिल/इन्वॉइस/वारंटी उपलब्ध नहीं कराने तथा बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के ही खाद्य व्यापार करने पर धारा 58 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 2 पर संयुक्त रूप से 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/6/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:52:35 IST
Reason: SelfAttested